

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक:- मुसप्र/2015/960

8/12/15
दिनांक:-

आदेश

आवासीय अभियन्ता खण्ड-हनुमानगढ़ के अधीन नई आवासीय योजना हनुमानगढ़ व पुरानी आवासीय योजना हनुमानगढ़ में अधिशेष हुये आवासों को अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-द्वितीय के प्रस्तावानुसार एवं सक्षम अनुमोदन उपरान्त वर्ष 2014-15 की लागत फ्रिज करते हुये नियमानुसार खुली ब्रिकी योजना में किराया क्य पद्धति/नगद भुगतान पद्धति एवं पुनः पंजीकरण योजना के तहत निस्तारण किये जाने की स्वीकृति निर्देशानुसार एतद्वारा प्रदान की जाती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	कॉलोनी का नाम	आय वर्ग	आवास संख्या	कुल आवास
1.	नई आवासीय योजना, डी.टी.ओ. हनुमानगढ़	EWS	1-A-36, 1-A-42, 1-A-45, 1-B-50, 1-B-52, 1-A-55, 1-B-64, 1-A-65, 1-B-77, 1-A-104, 1-A-110, 1-A-115, 1-B-119, 1-B-123, 1-B-159, 1-A-160, 1-B-182, 1-B-185, 1-B-192, 1-B-196, 1-B-198	21
		LIG	1-B-38, 1-B-141,	02
		MIG-A	1-B-12, 1-B-13, 1-A-14, 1-B-14, 1-A-15, 1-B-15, 1-A-17, 1-B-17, 1-A-18, 1-A-19, 1-A-21, 1-A-23, 1-A-24, 1-B-25, 1-B-26, 1-A-27, 1-A-193, 1-A-197, 1-A-206, 1-A-207, 1-A-208, 1-B-241, 1-B-242, 1-B-245, 1-B-247	25
		MIG-B	1-B-82, 1-B-89, 1-B-125, 1-B-129, 1-B-131, 1-A-187, 1-A-189,	07
		HIG	1-A-193, 1-A-214, 1-A-219, 1-A-220, 1-B-259, 1-A-3, 1-A-5	07
2.	पुरानी आवासीय योजना, डी.टी.ओ. हनुमानगढ़	EWS	6/554	01
		LIG	6/599	01
		MIG-A	5/30, 5/22, 5/23, 5/25, 4/100, 4/107, 4/109, 4/110, 4/276, 7/224 (SFS)	10
		MIG-B	6/355, 6/356	02
		HIG	5/79, 5/81, 5/82, 5/83, 5/84, 5/85, 5/86, 5/87, 5/88, 5/92, 5/93, 5/94, 5/96, 5/97, 5/102, 5/103, 5/104, 5/105, 5/106, 5/107, 5/108, 5/109, 5/110, 5/111, 5/112, 5/113, 5/114, 5/115, 5/116, 5/117, 5/120, 5/121, 5/122, 5/124, 5/125, 5/127, 5/128, 8/12	38
			कुल योग (62+52 = 114)	114


अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-द्वितीय, उप आवासन आयुक्त, वृत्त-बीकानेर खुली ब्रिकी योजना/पुनः पंजीकरण योजना प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर ले कि आवास आवंटन हेतु कोई भी पंजीकृत आवेदक लम्बित नहीं है, उक्त आवासों के अलावा स्कीम में कोई भी अन्य आवास खुली ब्रिकी योजना हेतु रिक्त नहीं है एवं उक्त आवासों का निस्तारण प्रचार प्रसार के माध्यम से किया जावें। खुली ब्रिकी योजना/पुनः पंजीकरण योजना के अलावा आवासों का निस्तारण किसी अन्य प्रकार से करने पर अधिक आय प्राप्त नहीं हो सकती है, यह भी पूर्णतयः सुनिश्चित करे। खुली ब्रिकी योजना योजना/पुनः पंजीकरण योजना हेतु दर्शाये गये आवासों पर कोई न्यायिक विवाद नहीं है तथा उक्त आवासों का निरस्तीकरण नियमानुसार किया गया है। आवासों का निस्तारण करने से पूर्व तकनीकी सलाहकार आवासन आयुक्त, महोदय द्वारा जारी कार्यवाही विवरण क्रमांक टीए/एच.सी./2015/624 दिनांक 03.11.15 (प्रति संलग्न) की पालना सुनिश्चित की जावें।

उक्त आदेशों को आवासन आयुक्त एवं माननीय अध्यक्ष महोदय का पत्रावली के पैरा संख्या 22 से 23/एन पर अनुमोदन प्राप्त है।

मुख्य सम्पदा प्रबन्धक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव-अध्यक्ष महो./आवासन आयुक्त महो. राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. मुख्य अभियन्ता-प्रथम/द्वितीय/सचिव/वित्तीय सलाहकार/निदेशक विधि, रा0आ0म0, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-द्वितीय, रा0 आ0 मा0, जयपुर।
5. अति0 निजी सचिव-मुख्य सम्पदा प्रबन्धक, रा0आ0म0 जयपुर।
6. उप आवासन आयुक्त, वृत्त बीकानेर, रा0आ0म0 बीकानेर।
7. आवासीय अभियन्ता, खण्ड हनुमानगढ़, रा0आ0म0 हनुमानगढ़।
8. संयुक्त एनालिस्ट (निदेशक), रा.आ.म., जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आदेश की प्रति मण्डल की वेबसाइट पर डलवायें व सभी संबंधित उप आवासन आयुक्त/आवासीय अभियन्ता को मेल करें।
9. सहायक निदेशक, जन सम्पर्क अधिकारी, रा0आ0म0ए जयपुर।
10. प्रभारी नागरिक सेवा केन्द्र, (मु0), रा0आ0म0, जयपुर।
11. रक्षित पत्रावली।


मुख्य सम्पदा प्रबंधक

कमलेश्वर पुको06